Received By Mail

उत्तराखण्ड शासन
शहरी विकास अनुभाग–3
संख्या–395/IV(3)/2017-04(न0प0) / 2016
देहरादूनः दिनांक 27 अप्रैल, 2017

अधिसूचना

राज्यपाल, उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2, सन 1916) (उत्तराखण्ड राज्य में यथा प्रवृत्त) ''भारत का संविधान'' के भाग 9क के अनुच्छेद 243त के खण्ड (ग) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके नीचे 'अनुसूची–एक' में जनपद देहरादून, हरिद्वार एवं टिहरी गढ़वाल के विनिर्दिष्ट क्षेत्र को 'देहरादून–हरिद्वार महानगर क्षेत्र' घोषित किये जाने के उद्देश्य से अधिसूचना निर्गत करते हैं और यथापेक्षित अनन्तिम अधिसूचना संख्या–1911 / IV (3)/2016-04(न0पा0) / 2016, दिनांक 27 दिसम्बर, 2016 के साथ पूर्व प्रकाशन के पश्चात् अग्रेत्तर अधिसूचित करते हैं कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 243त के खण्ड (ग) के अधीन नीचे 'अनुसूची–एक' में विनिर्दिष्ट क्षेत्र उक्त महानगर क्षेत्र का प्रादेशिक क्षेत्र होगा।

'अनुसूची–एक'

क्र0सं0	विनिर्दिष्ट क्षेत्र
1	जनपद हरिद्वार में नगर पालिका परिषद् शिवालिक नगर, नगर निगम हरिद्वार सहित तहसील हरिद्वार का सम्पूर्ण भाग तथा नगर निगम रुड़की का सम्पूर्ण क्षेत्र
2	जनपद देहरादून में नगर निगम देहरादून, नगर पालिका परिषद् डोईवाला तथा नगर पालिका परिषद ऋषिकेश सहित तहसील देहरादून, डोईवाला तथा ऋषिकेश का सम्पूर्ण क्षेत्र
3	जनपद टिहरी में तहसील नरेन्द्रनगर के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् मुनिकीरेती–ढालवाला का सम्पूर्ण क्षेत्र

/
(अरविन्द सिंह हयांकी)
प्रभारी सचिव।

संख्या– (1) / IV(3)/2017-04(न0पा0) / 2016,तद्दिनांक

प्रतिलिपि–निदेशक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री राजकीय मुद्रणालय, रूड़की को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त अधिसूचना को उत्तराखण्ड आगामी असाधारण गजट में प्रकाशित कर उसकी 50–50 प्रतियां सचिव, शहरी विकास विभाग, उत्तराखण्ड शासन, जिलाधिकारी, देहरादून, हरिद्वार, टिहरी गढ़वाल एवं निदेशक, शहरी विकास निदेशालय, देहरादून को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

आज्ञा से,

/
(रईस अहमद)
अनु सचिव।

Adhisuchna

112
28|4|17

संख्या—३७८(2)/IV(3)/2017-04(न0पा0)/2016,तद्‌दिनांक

प्रतिलिपि—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः—

1. समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव/प्रभारी सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
2. सचिव श्री राज्यपाल, राज्यपाल सचिवालय, उत्तराखण्ड़।
3. महालेखाकार एवं हकदारी उत्तराखण्ड़, देहरादून।
4. निजी सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी उत्तराखण्ड़ शासन।
5. निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड़ शासन।
6. आयुक्त, कुमाऊ/गढ़वाल मण्डल।
7. निदेशक, शहरी विकास निदेशालय देहरादून ।
8. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
9. महानिदेशक, सूचना एवं लोकसम्पर्क विभाग देहरादून को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया उक्त अधिसूचना को दो ऐसे दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने का कष्ट करें, जिनका प्रसार जिला हरिद्वार, देहरादून एवं टिहरी गढ़वाल में व्यापक रुप से होता हो।
10. एन0आई0सी0, उत्तराखण्ड़ सचिवालय परिसर।
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(रईस अहमद)

अनु सचिव।

Adhisuchna